

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक एफ.3(54)नविवि/3/2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 15 JUL 2013

आदेश

मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प.5(1) मंमं/2009 दिनांक 26.04.2011 द्वारा गठित एवं आदेश दिनांक 23.12.2011 से पुनर्गठित एवं आदेश दिनांक 1.11.2012 से "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" से सम्बन्धित बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत विभागीय मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की अष्टम बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में निम्न आदेश प्रसारित किए जाते हैं:-

1. दिनांक 17.6.99 के पश्चात् की आवासीय से कॉलोनियों के सम्बन्ध में स्व-प्रेरणा (सुओमोटो) से नियमन की कार्यवाही - अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर हस्तान्तरण किये हुए भूखण्डों के संबंध में विहित की गयी शास्ति के संबंध में :-

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.12.2012 को प्रसारित आदेश में शेष शर्तें यथावत रखते हुए निम्न संशोधन समसंख्यक आदेश दिनांक 19.2.2013 द्वारा शास्ति निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है:-

- (अ) यदि भूखण्ड का हस्तान्तरण मूल खातेदार से पंजीकृत विक्रयनामा के जरिये हुआ है तो शास्ति की राशि प्रीमियम राशि के 10 प्रतिशत राशि के समान होगी।
- (ब) यदि भूखण्ड का हस्तान्तरण दिनांक 17.6.99 के पश्चात् किन्तु दिनांक 30.9.2012 से पूर्व अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हुआ है तो तो अन्तिम क्रेता से वर्तमान डी.एल.सी. दर पर देय स्टाम्प ड्यूटी के समान राशि शास्ति के रूप में वसूलनीय होगी।

विभाग के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 12.6.2013 के निर्णय के अनुसरण में इस विषय में समसंख्यक आदेश दिनांक 19.2.2013 के बिन्दु संख्या (ब) में विहित शास्ति में संशोधन किया जाकर शास्ति की राशि अब निम्नानुसार विहित की जाती है :-

- (ब) यदि भूखण्ड का हस्तान्तरण दिनांक 17.06.99 के पश्चात् किन्तु 31.05.2013 से पूर्व अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हुआ है तो अन्तिम क्रेता से नियमन दर की 50 प्रतिशत राशि शास्ती के रूप में लेकर नियमन कर पट्टा जारी किया जावे।"

2. दिनांक 17.6.99 से पूर्व की योजनाओं के हस्तान्तरित भूखण्डों का नियमन प्रक्रिया, नियमन शुल्क तथा पंजीयन की कट ऑफ डेट दिनांक 30.09.2012 के स्थान पर 31.03.2013 किये जाने के संबंध में:-

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दौरान मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 193/2012 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में विभागीय आदेश दिनांक 17.10.2012 के बिन्दु संख्या

1 (vi) में नवीन निर्देशों के अनुसार ऐसे भूखण्ड जिनका दिनांक 30.9.2012 तक जितनी भी बार हस्तान्तरण किया गया है, उनका नियमन किये जाने के नगरीय निकायों को अधिकृत किया जा चुका है तथा पंजीकृत इकरारनामा तथा कब्जे के मामले में केवल प्रीमियम राशि ली जाकर नियमन किया जा सकेगा तथा अपंजीकृत इकरारनामा तथा कब्जे के मामले में 10 रूपये प्रति वर्गगज की राशि के साथ प्रीमियम राशि ली जाकर अन्तिम क्रेता के पक्ष में नियमन किया जा सकेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की गणना नियमन शुल्क की चार गुणा राशि के आधार पर ली जावेगी।


विभाग के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावरड समिति की बैठक दिनांक 12.6.2013 के निर्णय के अनुसरण में उक्त विभागीय आदेश के 17.10.2012 के विन्दु संख्या 1 (vi) 17.06.99 से पूर्व तथा पश्चात् की योजनाओं के अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर हस्तान्तरित भूखण्डों के नियमन हेतु अपंजीकृत दस्तावेज की कट ऑफ डेट (Cut of date) 30.9.2012 के स्थान पर 31.05.2013 की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गुरदेव सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन/उद्योग/ऊर्जा/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, गृह एवं यातायात, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्थान)।
7. समस्त जिला कलेक्टर (राजस्थान)।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
10. आयुक्त/सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
11. निर्देशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उपरोक्त आदेश संबंधित स्थानीय निकायों को प्रेषित किए जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किए जाने हेतु।
12. मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
13. समस्त, महापौर, नगर निगम/समस्त, सभापति, नगर परिषद/समस्त अध्यक्ष, नगरपालिका राजस्थान।
14. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/समस्त आयुक्त, नगर परिषद/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका राजस्थान।
15. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास (राजस्थान)।
16. रक्षित पत्रावली।


(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय